न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/447
दायरा तिथि : 04.11.2024
आदेश तिथि : 23-09-25

प्रार्थी :–

भरतसिंह शेखावत पुत्र शिवदयालसिंह जाति राजपूत निवासी बीजेएस कॉलोनी जोधपुर हाल मोरी बेडा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश   दिनांकः 23-09-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1306 रकबा 0.82 हैक्टरं व खसरा नंबर 1298 रकबा 0.94 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि मोरी बेडा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1300 रकबा 1.2300 हैक्टर व खसरा नंबर 1425/1397 रकबा 3.1720 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवदेक द्वारा मौजा मोरीबेडा स्टे. के खसरा नंबर 1425/1397 व खसरा नंबर 1300 राजकीय सिवायचक भूमियों मे से 30 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। चूंकि खसरा नंबर 1300 किस्म गै.मु. वाला (आर.टी.एक्ट की धारा 16 में प्रतिबंधित किस्म) होने से उक्त खसरे में से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।
2. यह है कि आवदेक की धारित भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त वर्णित अपनी खातेदारी खसरान में आवागमन खसरा नंबर 1425/1397 में से आना–जाना करता है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1288	0.22 हैक्टर	बा.दो.	20X5/2=50 वर्गमीटर	शुभम कुमार पुत्र सीताराम बंसल हि0 पूर्ण जाति अग्रवाल सा सुमेरपुर
2	1425/1397	3.1720 हैक्टर	गै.मु. पत्थर	128X09=1152वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 1,30,,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि, प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है, लेकिन भूमि मौके पर पथरीली, उबड–खाबड व समतलीय चट्टानी रूपी है।

उपखण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

3

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/447

अनवान भरतसिंह शेखावत बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अन्य विकल्पः–

1. यह है कि आवेदक की धारित भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त वर्णित अपनी खातेदारी खसरान में आवागमन खसरा नंबर 1425/1397 में से आना–जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग (उपरोक्त विवरण के बाद) से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. में अन्य विकल्प के रूप में प्रस्तावित खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1425/1397	3.1720 हैक्टर	गै.मु. पत्थर	190X09=1710 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह है कि रास्ते के लिये प्रस्तावित भू–भाग में मौजा मोरी बेडा स्टे. के खसरा नंबर 1425/1397 में से रकबा 1710 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आयेगी जो कि उपरोक्त रास्ते से 508 वर्गमीटर अधिक है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है, लेकिन भूमि मौके पर पथरीली, उबड–खाबड व समतलीय चट्टानी रूपी है।
6. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 1,30,,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। खसरा नंबर 1288 के खातेदार अप्रार्थी शुभम कुमार को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी शुभम कुमार की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चौहान ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत सहमति व्यक्त की। प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई। चूंकि धारा 251 ए के अंतर्गत न्यूनतम दूरी का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थी को खसरा नंबर 1288 व 1425/1397 से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1306 रकबा 0.82 हैक्टर व खसरा नंबर 1298 रकबा 0.94 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1306 रकबा 0.82 हैक्टर व खसरा नंबर 1298 रकबा 0.94 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी बेडा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1288 रकबा 0.22 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1425/1397 रकबा 3.1720 हैक्टर में से **50+1152=1202 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/447

अनवान भरतसिंह शेखावत बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,30,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1265	0.0600 हैक्टर	20X5/2=50 वर्गमीटर	13	650X2=1300	शुभम कुमार पुत्र सीताराम बंसल हि0 पूर्ण जाति अग्रवाल सा सुमेरपुर
1513/1136	0.4400 हैक्टर	128X09=1152 वर्गमीटर	13	14976X2=29952	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 31252/– (अक्षरे इकतीस हजार दौ सौ बावन रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/ 1264–1268
दिनांक : 23/09/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक भरतसिंह शेखावत पुत्र शिवदयालसिंह जाति राजपूत निवासी बीजेएस कॉलोनी जोधपुर हाल मोरी बेडा तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 17/02/2025 08:42:26 AM

…: पाली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

…ल्का : डूदनी | ग्राम : मोरी बेडा स्टेशन

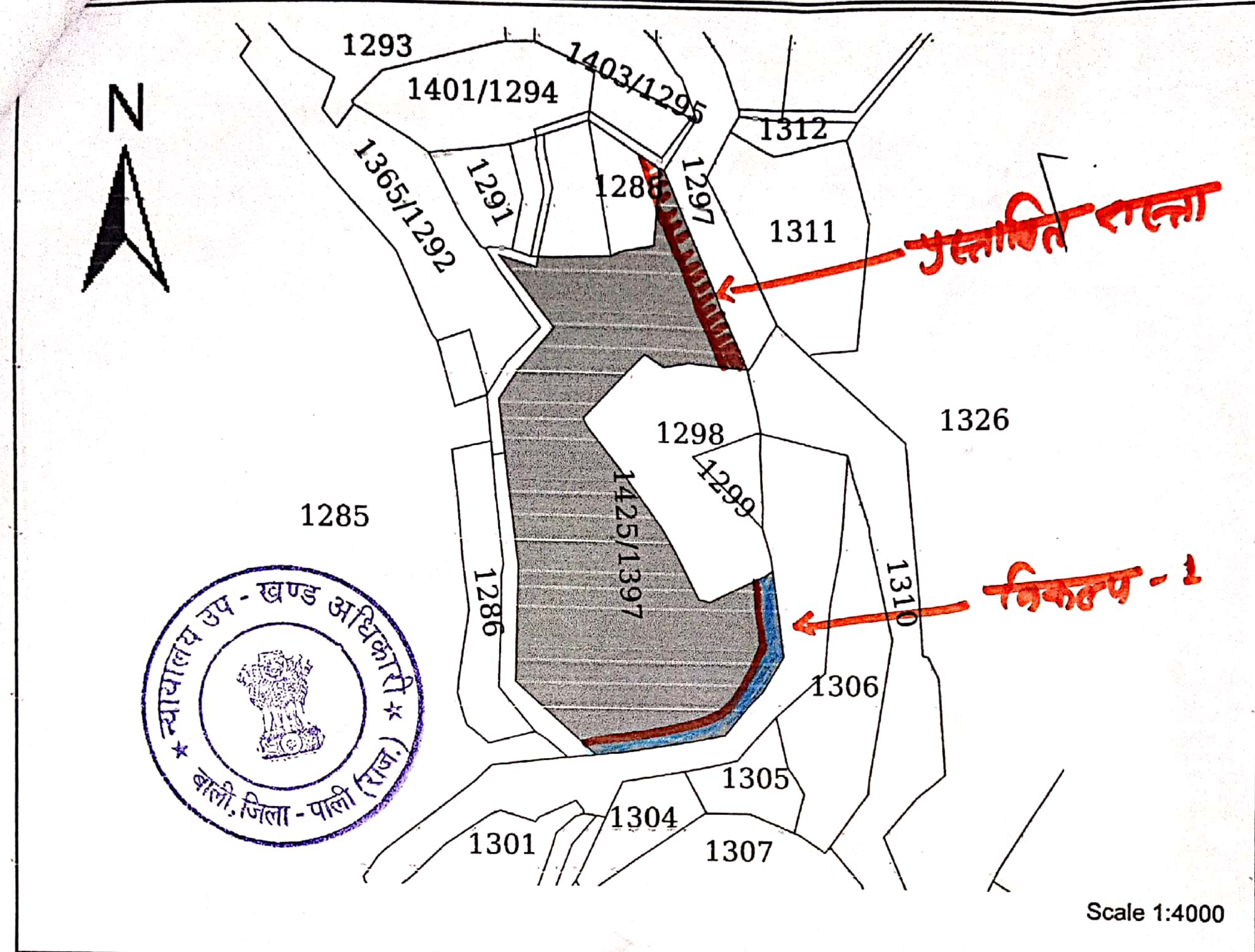

खसरा संख्या :1425/1397 क्षेत्रफल : 3.1720 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

राज. सरकार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार बाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल आपकी जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned with CamScanner